डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब0/1211/2026 दिनांक : 17 /04/2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषयः शैक्षणिक सत्र 2026–27 हेतु अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (AEDP) प्रारम्भ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की अनिवार्यता में रियायत के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र दिनांक 16 अप्रैल, 2026 (छायाप्रति संलग्न) तथा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज के पत्र दिनांक 19.02.2026 के क्रम में आपको अवगत कराना है कि शैक्षणिक सत्र 2026–27 हेतु Apprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP) प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की अनिवार्यता में आंशिक रियायत प्रदान की गई है। इस संबंध में यूजीसी द्वारा मार्च, 2025 में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार केवल वही शिक्षण संस्थान AEDP संचालित करने के पात्र होंगे, जो निम्न में से किसी एक श्रेणी में आते हों–

1- NAAC द्वारा प्रत्यायित (Accredited) हों, अथवा
2- NIRF की विश्वविद्यालय श्रेणी में स्थान प्राप्त किये हों।

अतः उक्त के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसे संस्थान जो NAAC प्रत्यायित हैं एवं पूर्व में मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त करते समय अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें शैक्षणिक सत्र 2026–27 में AEDP पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु पुनः NOC प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाती है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह रियायत केवल शैक्षणिक सत्र 2026–27 में AEDP पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने तक ही सीमित रहेगी तथा इसे भविष्य में किसी अन्य पाठ्यक्रम/महाविद्यालय के लिए नज़ीर के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही समय से पूर्ण करें।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
3. प्रभारी, कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. उप–कुलसचिव, शैक्षिक/आवासीय इकाई।
5. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Affisviett